भाग II - वित्तेतर सांख्यिकी

4. कंपनी वित्त सांख्यिकी

4.1 परिचय

भारतीय रिज़र्व बैंक पिछले पाँच दशकों से निजी कंपनी कारोबार क्षेत्र के वित्तीय कार्य निष्पादन के संबंध में नियमित रूप से अपने अध्ययानों को प्रकाशित करता आ रहा है । कंपनियों के वित्तीय कार्य निष्पादन को मापने का स्रोत कंपनियों के लेखापरीक्षित वार्षिक खाते होते हैं । कंपनियों के तुलनपत्र के विश्लेषण से संबंधित कार्य 1949 में आरंभ किया गया था । पहला अध्ययन लगभग 2500 उन गैर वित्तीय कंपनियों से संबंधित था, जिनके खाते 1947 के दौरान बंद हो गये थे । इस अध्ययन में 20 चुनिंदा मदों के संबंध में आँकड़े प्राप्त किये गये । 1952 में किये गये अगले अध्ययन में शामिल मदों की संख्या बढ़ाकर 51 कर दी गयी, जो उन 1000 गैर वित्तीय कंपनियों से संबंधित थी, जिनके खाते 1948 और 1949 के दौरान बंद हो गये थे । ये दोनों अध्ययन अन्वेषणात्मक स्वरूप के थे, जिनका उद्देश्य कंपनी सांख्यिकी के प्रस्तुतीकरण को और कंपनियों द्वारा अपनायी गयी अवधारणाओं और परिभाषाओं में सूक्ष्म अंतर को, यदि हो, समझना था । इन अध्ययनों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर चुनिंदा कंपनियों के वार्षिक लेखे से वित्तीय सांख्यिकी के विश्लेषण और संसाधन के लिए एक प्रणाली विकसित की गयी और उस पर आधारित अध्ययन 1953 और उसके बाद से नियमित रूप से किये जाने लगे । वर्ष 1950 और 1951 के लिए पहला नियमित अध्ययन भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में अगस्त 1954 में प्रकाशित किया गया ।

4.2 क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकताएँ

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है व्यापक कंपनी वित्त सांख्यिकी को निर्मित करना, ताकि आमदनी की प्रवृत्ति, उत्पादन के मूल्य, बिक्री, लाभप्रदता, बचत, निवेश, उधार, आदि का पता चल सके, जो निजी कंपनी क्षेत्र के व्यापक संरचनात्मक लक्षणों को समझने के लिए आवश्यक होता है ।

कंपनी वित्त (सीएफ) अध्ययन का एक लक्षण होता है निधियों के स्रोत और उपयोग का विश्लेषण करना । ये आँकड़े निजी कंपनी क्षेत्र की निधियों के आंतरिक और बाह्य स्रोतों; वित्तीय मध्यस्थों से मदद की पर्याप्तता और वित्तीय मध्यस्थों को दरकिनार करते हुए कंपनियाँ किस हद तक संसाधन जुटाती हैं; इसके बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। लाभ-हानि खाते के विश्लेषण से ब्याज का बोझ, कंपनियों की लाभप्रदता का पता चलता है और देश में कारोबार के वातावरण का बोध होता है । इसलिए ये आँकड़े नीति-निर्माण के लिए गुणात्मक और परिमाणात्मक, दोनों ही प्रकार की निविष्टियाँ प्रदान करते हैं ।

केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ की गयी स्थायी व्यवस्था के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक का सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग सीएफ अध्ययन से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर निजी कंपनी कारोबार क्षेत्र के बचत और पूँजी निर्माण के बारे में अनुमानों का संकलन करता है और सीएसओ को ये आँकड़े राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में शामिल करने के लिए आपूर्ति करता है। भारत में बचत और पूँजी निर्माण के अनुमानों के संकलन की पद्धति की जाँच दो विशेषज्ञ समितियों द्वारा की गयी है: के.एन.राज कमिटी : ''भारत में पूँजी निर्माण और बचत 1950-51 से 1979-80'' (रिपोर्ट फरवरी 1982 में प्रकाशित) और राजा जी.चेलैया कमिटी : ''बचत एवं पूँजी निर्माण पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट'', दिसंबर 1996। बचत और निवेश के अनुमान की विधि के संबंध में राज कमिटी (1981 में गठित) ने बचत और निवेश के संबंध में अनुमान लगाये जाने में भारतीय रिज़र्व बैंक और सीएसओ की भूमिका को विनिर्दिष्ट किया। इसने सिफारिश की कि भारतीय रिज़र्व बैंक को निजी कंपनी कारोबार क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत (जीवन बीमा, भविष्य निधि और पेंशन निधियों को छोड़कर) के लिए अनुमान तैयार करने चाहिए ।

बचत और पूँजी निर्माण पर विशेषज्ञ दल (चेलैया कमिटी, 1955 में गठित) ने निजी कंपनी क्षेत्र के बचत और पूँजी निर्माण का अनुमान लगाने के लिए आँकड़ों के विविध वैकल्पिक स्रोतों पर विचार किया, यथा, एएसआई आँकड़े और अन्य निजी निकायों द्वारा संकलित किये गये आँकड़े । तथापि, यह नोट किया गया कि आँकड़ों के ये स्रोत निजी कंपनी कारोबार क्षेत्र के अपेक्षित बचत एवं पूँजी निर्माण के संबंध में पूरी या संतोषजनक जानकारी नहीं देते हैं । इसलिए इसने सिफारिश की कि भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्ययनों के आधार पर अनुमान लगाना जारी रखा जाये ।

समुच्चयित स्तर पर कंपनी बचत और निवेश संबंधी अनुमानों के अतिरिक्त उद्योगवार बचत एवं पूँजी निर्माण आँकड़े, चुनिंदा उद्योगों के लिए मूल्य वर्धित और इसके विस्तृत घटकों तथा इनपुट-आउटपुट लेनदेन सारणी (आइओटीटी) तैयार करने के लिए उद्योगवार वस्तु-सूची आँकड़े भी सीएसओ को भेजे जाते हैं । सीएसओ वित्तीय एवं निवेश कंपनियों के संबंध में सीएफ अध्ययनों के आँकड़ों का उपयोग अप्रत्यक्षतः मापी गयी वित्तीय मध्यस्थता सेवा (एफआइएसआइएम) का अनुमान लगाने के लिए करता है ।

प्राप्त आँकड़ों के आधार पर सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशन के लिए निम्नलिखित नियमित वार्षिक अध्ययन कर रहा है ।

क) बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के वित्त

ख) पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के वित्त

ग) प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के वित्त

घ) वित्तीय एवं निवेश कंपनियों का कार्य निष्पादन

ङ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कंपनियों के वित्त

अन्य तदर्थ प्रकाशनों की एक सूची अनुबंध 4.1 में प्रस्तुत की गयी है ।

4.3 अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्ययन विस्तृत आँकड़े प्रदान करते हैं, जिनमें 'संयुक्त तुलनपत्र' और 'संयुक्त आय, उत्पादन का मूल्य और विनियोग खातों' से सभी वित्तीय परिवर्ती शामिल किए जाते हैं । आस्तियों/देयताओं, आय, व्यय और विनियोग खातों से संबंधित आँकड़े वार्षिक लेखों से चुनकर निकाले जाते हैं तथा स्व-संतुलन कार्यपत्रक में दर्ज किये जाते हैं । इन अध्ययनों में निजी कंपनी कारोबार क्षेत्र से संबंधित चुनिंदा गैर वित्तीय और वित्तीय कंपनियाँ शामिल की जाती हैं । कंपनियों को चुनने के लिए अपनाया गया मानदंड उनकी चुकता पूँजी का आकार होता है, जिसका उद्देश्य होता है चुकता पूँजी और उद्योगवार कंपनियों के संदर्भ में अधिकतम व्याप्ति देना । निर्माण के चरण में जो कंपनियाँ होती हैं और जो कंपनियाँ निष्क्रिय हो गयी होती हैं, उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्ययनों में शामिल नहीं किया जाता है । इन अध्ययनों में उन कंपनियों को भी शामिल नहीं किया जाता है, जो अभी बनने की प्रक्रिया में होती हैं और जो वर्ष के दौरान छह महीनों से अधिक समय तक परिचालन में नहीं रहती हैं । इसके अतिरिक्त, जो कंपनियाँ निर्लाभ उद्देश्यों से परिचालन करती हैं, गारंटी द्वारा सीमित कंपनियाँ और संवर्धक विकासात्मक संगठनों को शामिल नहीं किया जाता है । चुनिंदा कंपनियों की सूची को निरंतर संशोधित किया जाता है, ताकि चुकता पूँजी की व्याप्ति में और चुनिंदा कंपनियों के प्रतिनिधिक स्वरूप में सुधार किया जाये। इन अध्ययनों में विविध कंपनियों से यथासंभव अधिक से अधिक कंपनियों को चुना जाता है । उद्योगवार परिणाम प्रस्तुत करते समय कंपनियों का वर्गीकरण राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआइसी), 1998 के अनुसार किया जाता है । चूँकि एनआइसी-1998 के अंतर्गत उद्योगों का वर्गीकरण कार्यकलापों को निर्दिष्ट करता है, जबकि कंपनी वित्त अध्ययन उत्पादों पर आधारित होते हैं; अतः विभाग ने 3-अंकीय स्तर पर कुछ आशोधनों को अपनाया, जो इसकी अपेक्षाओं के उपयुक्त हों । भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्गीकरण में, जबकि पहले दो अंक एनआइसी कूट से लिये जाते हैं, तीसरे अंक का उपयुक्त रूप से समायोजन मुख्य उत्पाद के आधार पर विनिर्दिष्ट उद्योग/उद्योग समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। जिस कंपनी का एक से अधिक कारोबारी कार्यकलाप हो, उसे उस उद्योग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जिससे इसने अपनी बिक्री का आधा से अधिक भाग प्राप्त किया हो ।

खातों का विश्लेषण करने की प्रक्रिया में आस्तियों/देयताओं, आय, व्यय और विनियोग लेखों के संबंध में आँकड़े वार्षिक लेखे से चुनकर निकाले जाते हैं और स्व-संतुलन कार्यपत्रकों में दर्ज किये जाते हैं । इनमें निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा-टिप्पणी, सांविधिक प्रकटीकरण, आदि में उपलब्ध जानकारी जोड़ी जाती है । कार्य पत्रक तैयार करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग ने उपयुक्त पद्धति विकसित की है, ताकि कंपनियों के बीच तुलना के लिए और समयोपरि अवधि के लिए खातों का मानकीकरण किया जा सके । सभी कंपनी वित्त अध्ययनों में तीन क्रमिक वर्षों के लिए आँकड़े शामिल किये जाते हैं, जिनमें वर्तमान अध्ययन वर्ष के साथ-साथ उसके ठीक पूर्व के दो वर्ष शामिल होते हैं; ताकि तुलनीय वृद्धि दरों और निधियों के स्रोत एवं उपयोग के आँकडे प्राप्त किये जा सकें । आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय खातों की विविध मदों की परिभाषाएँ अनुबंध 4.2 में दी गयी हैं ।

4.4 स्रोत और प्रणालियाँ

सीएफ अध्ययन के लिए आँकड़ों का स्रोत होता है कंपनियों का लेखापरीक्षित वार्षिक खाता । किसी कंपनी को अपनी लेखाबंदी के छह महीनों के भीतर अपना तुलनपत्र और लाभ-हानि खाता शेयरधारक सदस्यों की वार्षिक आम सभा की बैठक (एजीएम) में प्रस्तुत करना होता है । कंपनियाँ अपने शेयरधारकों के लिए वार्षिक

लेखे उस ढंग से तैयार करती हैं, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI में निर्धारित है ।

सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग कंपनियों का एक डाटाबेस रखता है, जिसमें लगभग 32000 कंपनियों की जानकारी दी गयी होती है और उनसे तुलनपत्र प्राप्त करने के लिए पत्राचार करता है । कंपनियों के साथ सीधे पत्राचार करने के अतिरिक्त सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग कंपनी निबंधकों (आरओसी) से भी तुलनपत्र प्राप्त करता है। कंपनियाँ अपने वार्षिक लेखे की तीन प्रतियाँ उस कंपनी निबंधक के पास प्रस्तुत करती हैं, जिसके अधिकार-क्षेत्र के भीतर वे आती हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक (सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग) की कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ की गयी व्यवस्था द्वारा कंपनी निबंधक तुलनपत्र की एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षानुसार देते हैं ।

राष्ट्रीय संख्यिकी आयोग (एनएससी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्ययनों के महत्व को पहचाना और बैंक द्वारा आँकड़ा संग्रहण प्रयासों को मजबूत करने के लिए विविध उपायों की सिफारिश की । आयोग ने सिफारिश की कि कंपनी कार्य विभाग (अब कंपनी कार्य मंत्रालय) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अपेक्षित कंपनी की वार्षिक रिपोर्टें, चाहे वे कंपनियाँ सूचीबद्ध हों, डीम्ड हों या प्राइवेट लिमिटेड हों - आरबीआई को उपलब्ध करायी जाती हैं , ताकि उनका आगे विस्तृत विश्लेषण किया जा सके ।

कुछ कंपनियों के वार्षिक लेखे/रिपोर्टें इंटरनेट पर उपलब्ध होती हैं । विभाग ऐसी रिपोर्टों का उपयोग करता है जब कभी नियमित स्रोतों से मुद्रित तुलनपत्र उपलब्ध नहीं होते हैं ।

4.5 गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना

कंपनी वित्त अध्ययनों में एक ही सेट वाली कंपनियों के लिए सकल/उद्योग स्तर पर तीन वर्षीय आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं । उन कंपनियों के मामले में, जिन्होंने या तो अपने लेखा वर्ष को विस्तारित किया या कम किया हो, उनके आय, व्यय और विनियोग लेखा के आँकड़ों को वार्षिक बनाया जाता है । तथापि, तुलनपत्र आँकड़े वही रखे जाते हैं, जो कंपनियों के वार्षिक लेखे में प्रस्तुत किये गये होते हैं । कंपनी स्तरीय आँकड़ों के मानकीकरण और समुच्चयन की पद्धति यह सुनिश्चित करती है कि चुनी गयी कंपनियों के संघटन में परिवर्तन इन अध्ययनों के परिणामों को प्रभावित नहीं करते हैं । जबकि निकाले गये वित्तीय अनुपात वर्षों तक तुलनीय होते हैं, जो अनुपातों की काल श्रेणी बनाते हैं, निरपेक्ष संख्या क्रमिक अध्ययनों में नमूनों में परिवर्तन होने के कारण ठीक-ठीक तुलनीय नहीं होती । तथापि, यदि विश्लेषण आम कंपनियों पर आधारित हो, तो निरपेक्ष आँकड़े भी तुलनीय बन जाते हैं।